



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062025-263731
CG-DL-E-11062025-263731

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2490]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 11, 2025/ज्येष्ठ 21, 1947

No. 2490]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 11, 2025/JYAISTHA 21, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2025

सं. 41/2025-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 2554(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1), के साथ पठित धारा 3, और धारा 5 की उपधारा (1) और (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, निम्न दी गई सारणी के कॉलम 4 में उल्लेखित अधिकारी को कॉलम 3 में उल्लेखित अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों के निर्वहन के दायित्व को सारणी के कॉलम 1 में उल्लेखित नोटिसी के संदर्भ में, कॉलम 2 में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसो के न्यायनिर्णयन उद्देश्य हेतु नियुक्त करता है, यथा:-

सारणी

नोटिस प्राप्तकर्ता (फर्म) का नाम और पता	शोकाँज़ नोटिस संख्या और दिनांक	निर्णय देने वाले प्राधिकारी का नाम	नियुक्त सामान्य निर्णायक प्राधिकारी
1	2	3	4
मेसर्स बांदो (इंडिया) प्रा. लि. , प्लॉट नंबर 436, सेक्टर-8, आईएमटी मानेसर - 122050, गुरुग्राम, हरियाणा	511/2024, दिनांक 21.05.2024	उप आयुक्त सीमा शुल्क, आयात मूल्यांकन, आईसीडी व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु	सीमाशुल्क आयुक्त, चेन्नई-II (आयात)
	253/2021-22, दिनांक 16.03.2022	सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, ग्रुप-I एवं II, एसीसी-आयात, नई दिल्ली	
	07/2024, दिनांक 01.02.2024	उप आयुक्त, ग्रुप-II, चेन्नई -II (आयात)	
	248/2024, दिनांक 05.03.2024	उप आयुक्त सीमा शुल्क (पी.ए.जी.), एपी और एसीसी, बेंगलुरु	

[फा. सं. 466/40/2024-सीमा शुल्क V]

मेघा बंसल, अवसर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(THE CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2025

No. 41/2025-Customs (N.T.)

S.O. 2554(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, read with section 3 and sub sections (1) and (1A) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby appoints officer mentioned in column (4) of the Table below to exercise the powers and discharge duties conferred or imposed on officers mentioned in column (3) of the said Table in respect of Noticee mentioned in column (1) of the Table, for purpose of adjudication of show cause notices mentioned in column (2) therein, namely:-

TABLE

Name of the Noticee(s) and Address (M/s.)	Show Cause Notice Number and Date	Name of Adjudicating Authorities	Common Adjudicating Authority appointed
1	2	3	4
M/s Bando (India) Pvt. Ltd., Plot No.436, Sector-8, IMT Manesar - 122050, Gurugram, Haryana	511/2024 dated 21.05.2024	Deputy Commissioner of Customs, Import Assessment, ICD Whitefield, Bengaluru	Commissioner of Customs, Chennai II, Import,
	253/2021-22 dated 16.03.2022	Assistant Commissioner of Customs, Gr-I & II, ACC-Import, New Delhi	
	07/2024 dated 01.02.2024	Deputy Commissioner, Gr-II, Chennai-II (Import)	
	248/2024 dated 05.03.2024	Deputy Commissioner of Customs (PAG), AP& ACC, Bengaluru	

[F. No. 466/40/2024-CusV]

MEGHA BANSAL, Under Secy.